संख्या–620/XV-2/1(14)/06

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन–2

देहरादूनः दिनांक 10 जुलाई, 2009:

**विषय– वित्तीय वर्ष 2009–10 में डेरी विकास विभाग को डेरी विकास योजना (सामान्य) में आयोजनागत पक्ष की राज्य योजना में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–656/लेखा–प्रस्ताव आयो0सामान्य/2009–10, दिनॉक 19–06–2009 के संदर्भ में एवं प्रमुख सचिव, वित्त के शासनादेश संख्या–205/XXVII(1)/2009, दिनांक 25–03–2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में लेखानुदान के माध्यम से डेरी विकास योजना (समान्य) अर्न्तगत परिवहन अनुदान में रू0 75.54 लाख एवं प्रबन्धकीय अनुदान हेतु रू0 20.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 95.54 लाख (रू0 पिचानबे लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये उसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न किया जाय।

2– सभी कार्यक्रमों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

3– उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ही किया जाय।

4– स्वीकृति की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदित निर्माण एजेन्सी द्वारा करवाया जायेगा। साथ ही राशि का तत्काल आहरण कर संबंधित जनपदीय दुग्ध संघों को उपलब्ध कराया जाय।

5– उक्त स्वीकृती इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल चालू एवं पूर्व अनुमोदित कार्यों/मदों पर ही व्यय किया जाय तथा किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है।

6– स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनॉक 31–3–2010 तक उपयोग कर प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जाय।

7– स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

8– बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन व्यय की सूचना कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

90 Gupta ro

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–28 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनायें–03–डेयरी विकास योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–145P/वि0अनु0–4/2009, दिनांक 28 जुलाई, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(अमरेन्द्र सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 620 (1)/**XV-2**/1(14)06–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, उत्तराखंड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2–मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं पौड़ी गढवाल।
3–स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4–स्टाफ आफिसर–अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
5–वित्त अनुभाग–04/नियोजन अनुभाग।
6–वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
7–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

91 Gupta ro